"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 464 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2017 — कार्तिक 6, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2017

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-22/2017/32. — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

#### संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 28 में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (5) में निहित" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "30 दिवस (तीस दिवस) की" प्रतिस्थापित किया जाये.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

#### नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 7-22/2017/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 28th October 2017

#### NOTIFICATION

No. F 7-22/2017/32. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely:-

#### **AMENDMENT**

In the said rules,-

In rule 28, for the words, figures and symbols "prescribed in sub-section (5) of Section 30 of the Act", the figure and words "of 30 days (thirty days)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, REGINA TOPPO, Additional Secretary.